FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

Service Appeal No.- 34 /2023

***Radha Devi.....Appellant***

***Versus***

***The State of Bihar & Ors .....Respondents***

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 28-5-2024 | **—:आदेश:—**<br>प्रस्तुत सेवा अपील माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 1057/2020 में दिनांक—04.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है।<br>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिक्ता का कथन है कि इनके पति स्व0 अरविन्द कुमार तत्कालीन लेखा लिपिक के पद पर दिघलबैंक में पदस्थापित थे। इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने आदेश ज्ञापांक—233 दिनांक—19.02.2008 द्वारा इन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में सेवा अपील सं0—08/2014 दायर किया गया था, जिसके विचारण के दौरान अपीलार्थी के पति अरविन्द कुमार की मृत्यु दिनांक—26.01.2018 को हो गई। मृत्यु पश्चात् इनके अपील क अस्वीकृत हो जाने के विरूद्ध उनकी विधवा राधा देवी (अपीलार्थी) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उपरोक्त रिट याचिका दायर की गई, जिसके आलोक में प्रस्तुत अपील समर्पित किया गया। स्व0 कुमार लेखा लिपिक के रूप में 25 वर्षों तक निष्कलंक एवं निष्ठावान सेवा दी है। उनके विरूद्ध PDS से संबंधित अभिलेख जिला चयन समिति के समक्ष उपस्थापित नहीं करने एवं अन्य आरोपों के आलोक में ज्ञापांक—1844 दिनांक—09.11.2004 द्वारा निलंबित करते हुए कारण—पृच्छा की माँग की गई। उनके द्वारा समर्पित कारण—पृच्छा से संतुष्ट होते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के अनुशंसा पर चेतावनी के साथ इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए दिघलबैंक प्रखंड में योगदान करने का आदेश दिया गया। स्व0 कुमार द्वारा दिनांक—22.07.2005 को योगदान समर्पित करते हुए दिनांक—23.07.2005 से आकस्मिक अवकाश में चले गये। अनाधिकृत अनुपस्थित बताते हुए ज्ञापांक—844 दिनांक—25.08.2005 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध प्रपत्र—'क' में पाँच आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें कार्यपालक दंडाधिकारी, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया किन्तु उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का कोई साक्ष्य अभिलेख में नहीं है। स्व0 कुमार द्वारा गवाहों की सूची, साक्ष्यों की प्रति आदि कागजातों की माँग<br>क्रमशः | |

Web Copy. Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **लगातार**<br>28-5-2024 | किये जाने के बावजूद भी इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। फलतः उक्त के अभाव में उन्होंने सभी आरोपों से इन्कार करते हुए दिनांक–16.12.2006 को संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण समर्पित किया। संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले पर बिना विचार किये दिनांक–23.12.2006 को सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त दंडादेश संसूचित किया गया जो न्यायोचित नहीं है।<br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी एवं इनके बच्च का भरण–पोषण का एकमात्र जरिया इनके मृतक पति की कमाई थी जिन्हें काफी कठिनाईयाँ झेलनी पड़ रही है। ये समाज के कमजोर वर्ग की सदस्या है। स्व0 कुमार को कोई साक्ष्य/कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया था और ना ही इनके पक्षों की विधिवत् सुनवाई की गई थी जो न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के भी प्रतिकूल है, जो खंडित होने योग्य है। उल्लेखनीय है कि बिना प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की नियुक्ति के विभागीय कार्यवाही दुषित परिलक्षित होता है। विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना अनुशासनिक प्राधिकार के मनमाने रवैये को दर्शाता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी स्व0 कुमार के पक्षों की विधिवत् सुनवाई नहीं करना एवं किसी साक्षी का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं कराया जाना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रतिकूल है, जिससे विभागीय कार्यवाही स्वतः दूषित परिलक्षित होती है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा भी प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में स्व0 कुमार के पक्षो की बिना सुनवाई किये वृहद् दंड अधिरोपित करना न्यायोचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मृतक कर्मी के विरूद्ध किसी सरकारी राशि के गबन/दुर्विनियोग का आरोप प्रतिवेदित नहीं है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा वृहद् दंड अधिरोपित करने के पूर्व स्व0 कर्मी से न तो द्वितीय कारण–पृच्छा की माँग की गई और ना ही इस संबंध में उन्हें कोई सूचना ही तामिला कराया गया, जा अनुशासनिक प्राधिकार के मनमाने रवैये को दर्शाता है। अपीलार्थी मृतक कर्मी की विधवा है जो अपने संतान के साथ आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रही है। मृतक सरकारी सेवक स्व0 कुमार के सेवारत/सेवानिवृत्ति के आलोक में मिलनेवाले सभी सरकारी लाभ अपीलार्थी को दिया जाना नितांत आवश्यक एवं उचित है। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने पत्रांक–979 दिनांक–09.11.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि<br>क्रमशः | |

Web Copy, Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **लगातार**<br>28-5-2024 | अपीलार्थी स्व0 अरविन्द कुमार, बर्खास्त लेखा लिपिक की पत्नी है। स्व0 कुमार अनुमंडल आपूर्त्ति प्रशाखा में जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के निलंबन से संबंधित पत्रों एवं जिला आपूर्त्ति प्रशाखा से निर्गत दिशा–निर्देश का ससमय उपस्थापन नहीं किये जाने के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–1844 / सी0 दिनांक–09.11.2004 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ की गई। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–879 दिनांक–29.11.2004 द्वारा स्व0 कुमार के अल्प भूल को क्षमा करते हुए निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा के आलोक में आदेश ज्ञापांक–1059 / जि0स्था0 दिनांक–04.12.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही जारी रखते हुए स्व0 कुमार को कड़ी चेतावनी के साथ निलंबन से मुक्त किया गया। स्व0 कुमार का स्थानांतरण दिघलबैंक किये जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक–22.07.2005 को योगदान समर्पित करते हुए दिनांक–23.07.2005 का आकस्मिक अवकाश आवेदन देकर अनुपस्थित हो गये। उनकी अनुपस्थिति के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग किये जाने पर समर्पित नहीं किया गया। स्व0 कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में कुल यथा निम्न पाँच आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गईः–<br>1. **आरोप संख्या 1**– जिला पदाधिकारी, किशनगंज के स्थानान्तरण आदेश ज्ञापांक–656 / जि0 स्था0, दिनांक–07.7.2005 के आलोक में आपने प्रखंड कार्यालय दिघलबैंक में अपना योगदान दिनांक– 22.7.2005 को समर्पित किया तथा दिनांक– 23.7.2005 एक दिन का आकस्मिक अवकाश का आवेदन उपस्थिति पंजी में चिपका कर बिना स्वीकृति कराये प्रस्थान कर गये एवं बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित हो गये।<br>2. **आरोप सं0 2**– आपने पुनः दिनांक– 12.8.2005 को प्रखंड कार्यालय दिघलबैंक में वापस से योगदान दिया, लेकिन कार्यालय से अद्यतन अनुपस्थित रहे।<br>3. **आरोप सं0 3**– आपके कार्यालय से लगातार बिना किसी सूचना के अद्यतन अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी कार्य बाधित हुआ है।<br>4. **आरोप सं0 4**– आप इसके पूर्व जिला निलाम प्रशाखा, किशनगंज में पदस्थापित थे, जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, किशनगंज में ही कार्यरत थे, अतएव भूमि सुधार उप<br>क्रमशः | |

Web Copy, Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>लगातार</u><br>28-5-2024 | समाहर्त्ता, किशनगंज के आदेशानुसार भू–हदबंदी शाखा के प्रभार में भी थे। आपके स्थानान्तरण के फलस्वरूप आपने भू–हदबंदी वाद सं0– 57/1973–74 एवं अन्य मूल अभिलेख का प्रभार कार्यालय ज्ञापांक– 803, दिनांक– 13.09.2002 के द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी नही दिया है।<br><br>5. **आरोप सं0 5**– आपके द्वारा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय ज्ञापांक– 943, दिनांक– 18.10.2002 के द्वारा स्पश्टीकरण की मांग की गई, लेकिन आपके द्वारा न तो स्पश्टीकरण ही समर्पित किया गया और न ही अभिलेख उपलब्ध कराया गया।<br><br>उपरोक्त आरोपों के आलोक में गठित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के हैसितयत से कार्यालय ज्ञापांक–111/जि0नजा0, दिनांक 19.6.2006 द्वारा दिनांक–30.6.2006 को उपस्थित होकर कारणपृच्छा समर्पित करने का सूचना श्री कुमार को दी गयी, जिस क्रम में श्री कुमार ने उपस्थित होकर पत्र का साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। श्री कुमार को ततक्षण ही सक्ष्य उपलब्ध करा दी गयी किन्तु कई स्मारोपरांत श्री कुमार ने दिनांक– 16.12.2006 को कार्यपालक दंडाधिकारी–सह– संचालन पदाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में कारणपृच्छा समर्पित किया।<br>गठित आरोपों एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी ने श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को निम्न प्रकार संपुश्ट पाया है:–<br><br>(क) प्रथम आरोप दिनांक– 23.07.2005 से 11.8.2005 तक अनुपस्थिति के संबंध में स्व0 कुमार ने अपने स्पश्टीकरण में पत्नी की बीमारी की सूचना, मोटर साईकिल दुर्धटनाग्रस्त होने तथा मोटर साइकिल दुर्घटना के फलस्वरूप ग्रामीणों के द्वारा घेर लेने की बात लिखी है, लेकिन उसके प्रमाण में आरोपी के द्वारा न तो पत्नी की बोमारी से संबंधित कोई चिकित्सक का नुस्खा अथवा मोटर साईकिल दुर्घटनाग्रस्त होने का प्रमाण संलग्न किया गया, फलतः संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार प्रथम आरोप शत–प्रतिशत सम्पुश्ट हो जाता है।<br><br>(ख) पुनः दिनांक– 12.8.2005 को योगदान दने के पश्चात् बिना किसी सूचना के गायब रहने के संबंध में उन्होंने अपने स्पश्टोकरण में वही मोटर साईकिल दुर्घटना ही बात दोहराई है। साथ ही मोटर साईकिल दुर्घटना के बाद अनुपस्थित रहने के लिए उन्होंने अपने<br>क्रमशः | |



Web Copy. Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **लगातार**<br>28-5-2024 | स्पश्टीकरण में घर पर ही चिकित्सक से चिकित्सा कराने की बात लिखी है, लेकिन चिकित्सक का कोई प्रमाण अथवा अवकाश वृद्धि के लिए आवेदन नही देने का कोई स्टीक और संतोशप्रद उत्तर नहीं दिया गया है। स्पश्टतया द्वितीय /तृतीय आरोप भी सम्पुश्ट हो जाता है।<br><br>(ग) स्व0 कुमार द्वारा दिनांक– 16.12.2006 को समर्पित स्पश्टीकरण की कंडिका– 4 में लिखित है कि जिला निलाम पत्र प्रशाखा में पदस्थापन के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय के भू–हदबंदी अभिलेख प्रभार में था। भू–हदबंदी अभिलेख सं0– 57/73–74 का प्रभार स्थानांतरण के समय श्री राजेन्द्र दास सहायक को दिया गया, वहीं दूसरी ओर लिखते है कि अपनी सेवाकाल में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मो0 हासीम उद्दीन के समक्ष उपस्थापित किया था। इतना ही नही, इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अभिलेख संख्या– 57/73–74 के संबंध में जानकारी तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी श्री शंकर चौधरी को दी गयी थी। इस प्रकार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि स्व0 कुमार का उपरोक्त कृत्य व आचरण सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय एवं कलंकपूर्ण था। संचालन पदाधिकारी द्वारा इन्हें वांछित कागजात उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक– 07/जि0नजा0 दिनांक–05.01.2007 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। स्व0 कुमार ने अपने संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण में अपनी पत्नी की बीमारी की सूचना, मोटरसाईकिल दुर्घटना होने एवं ग्रामीणों द्वारा घेर लिये जाने आदि कारणों का उल्लेख किया गया किन्तु कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। स्व0 कुमार के लापरवाही से माननीय उच्च न्यायालय, में CWJC No. 8142/2000 में अभिलेख सं0–57/1973–74 के अभाव में सरकार केस हार चुकी है और भविष्य में संबंधित अन्य अभिलेखों के अभाव में सरकार को और क्षति होने की संभावना है। सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत स्व0 अरविन्द कुमार, लेखा लिपिक को सवा से बर्खास्त किया गया जो नियमानुकूल था। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्था के पति के विरूद्ध गठित आरोप के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में इनसे द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गई। किन्तु स्व0 कुमार ने अपना पक्ष नही रखा। अंततोगत्वा उनसे द्वितीय कारण–पृच्छा प्राप्त करने हेतु समाचार पत्र के माध्यम से इन्हें उचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी कोई लिखित अभिकथन नही<br>क्रमशः | |

Web Copy, Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>लगातार</u><br>28-5-2024 | दिया जाना इनके विरूद्ध गठित आरोपों को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्पश्ट रूप से प्रमाणित पाया गया है। स्व0 कुमार द्वारा भू–हदबंदी अभिलेख सं0– 57 / 1973–74 के संबंध में तरह–तरह का कथन प्रस्तुत करने तथा कार्यालय को गुमराह करने जैसे कृत्य परिलक्षित होता है। स्व0 कुमार के लापरवाही से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.- 8142/2000 में अभिलेख सं0– 57 / 1973–1974 के अभाव में सरकार मुकदमा हार गई, जो स्व0 कुमार के कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।<br>विभागीय जॉच में अपीलार्थी के पति (स्व0 कुमार) के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाये गए है। दोशसिद्धि पश्चात निर्गत दण्डादेश, जॉच के सबूतों एवं निश्कर्श पर आधारित ह। उल्लेखनीय है कि सरकारी पद पर कार्यरत कर्मियों के लिए जरूरी है कि वे अनिवार्य आचार संहिता एवं सरकारी कर्त्तव्यों के निर्वहन के सिद्धांत का पालन करे। प्रस्तुत मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी कर्मी से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग किये जाने का साक्ष्य अभिलेखबद्ध है। अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे निम्न न्यायालय आदे" । खंडित हो सके।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही पात हुए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल संचिका वापस भेजें।<br>लेखापित एवं सशोधित<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। | |

Web Copy, Not Official.